**प्रेस नोट** **दिनांक 29.04.2026**

## थाना दोहरीघाट पुसिस द्वारा हत्या के प्रयास के 04 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम के लगातार सुरागरसी पतारसी, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया।

दिनांक 29.04.2026 को प्राप्त सटीक मुखबिर सूचना के आधार पर थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2026 धारा 3(5), 109(1), 352, 61(2) बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तों को अहिरानी बुजुर्ग अण्डरपास के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में बताये कि हमलोगो का एक गैंग है हमारे ग्रुप के गोलु उर्फ गोल्डेन उर्फ रामसुन्दर व ऋषि प्रताप के बीच 6 माह पूर्व झगडा हो गया था जिसमें गोलू द्वारा ऋषि को जान से मारने की धमकी दिया गया था। इसी को लेकर गोलू अपने साथियों के साथ मिल कर ऋषि को मारने का योजना बनायी उसी के तहत दिनांक 23.04.2026 को शाम 7:00 बजे तीन मोटरसाइकिल से ऋषि के घर के पास पहुचे ऋषि को मारने की नियत से गोली मार दिया तथा अखिलेश व गोलू असलहा लहराते हुए हमलोग अपनी मोटर साइकिल से वहां से भाग गये। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम -**

1. अखिलेश चौहान पुत्र स्व0 ओमप्रकाश चौहान निवासी सुल्तानपुर थाना घोसी जनपद मऊ।
2. मिथलेश चौहान पुत्र अमरजीत चौहान निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. कमलेश यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. दीपक कुमार पुत्र बाबूराम प्रसाद निवासी जमालपुर बिक्कमपुर थाना घोसी जनपद मऊ ।

**बरामदगी–**

1. 01 अदद पिस्टल .12 बोर

**अभियोग का विवरण–**

1. मु0अ0सं0 74/2026 धारा 3(5), 109(1), 352, 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

**गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान -**

दिनांक 28/29.04.2026

स्थान अहिरानी बुजुर्ग अण्डरपास के पास से।

**पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 29.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-**

इस अभियान के अंतर्गत 45 टीम गठित कर जनपद के 50 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1471 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 315 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एव 01 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

**थाना कोपागंज पुलिस द्वारा गौ हत्या मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार एक बालअपचारी अभिरक्षा में, कब्जे से 04 अदद नाजायज चापड़ व 02 अदद रस्सी बरामद–**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वांछित अपराधियो के विरूद्ध गिरफ्तारी अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के निर्देशन में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 106/2026 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधि0 उ0प्र0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 से सम्बन्धित वांछित/अभियुक्त खालिक अहमद पुत्र रियासत अहमद निवासी निजामुद्दीनपुरा चौरा थाना दुल्हापुर जनपद दुल्लापुर हालपता चेला राम का पुरा लाड़नपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ व एक नफर बाल अपचारी को मुखबिर की सूचना पर 04 अदद नजायज चापड़ व 02 अदद रस्सी के साथ देईथान बंसवाड के पास थाना कोपागंज जनपद मऊ से दिनांक 28.04.2026 को नियमानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन करते व कराते हुये समय करीब 23.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त खालिक अहमद पुत्र रियासत अहमद निवासी निजामुद्दीनपुरा चौरा थाना दुल्हापुर जनपद दुल्लापुर हालपता चेला राम का पुरा लाड़नपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, व एक नफर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर थाना कोपागंज लाया गया गया । गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी के आधार पर थानाहाजा पर मु0अ0सं0 111/2026 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म एक्ट पंजीकृत व आवश्यक कार्यवाही कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त खालिक अहमद पुत्र रियासत अहमद निवासी निजामुद्दीनपुरा चौरा थाना दुल्हापुर जनपद दुल्लापुर हालपता चेला राम का

पुरा लाड़नपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, व बाल अपचारी बाल अपचारी को मय बरामदशुदा माल के नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–**

1. अभियुक्त खालिक अहमद पुत्र रियासत अहमद निवासी निजामुद्दीनपुरा चौरा थाना दुल्हापुर जनपद दुल्लापुर हालपता चेला राम का पुरा लाड़नपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, उम्र लगभग 19 वर्ष।
2. एक बाल अपचारी।

**गिरफ्तरी का स्थान एवं समय–**

बहदग्राम देईथान बंसवाड के पास थाना कोपागंज जनपद।
दिनांक 28.04.2026 समय करीब 23.55 बजे।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त व बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 106/2026 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधि0 उ0प्र0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 111/2026 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।

**बरामदगी का विवरण–**

1. 04 अदद नाजायज चापड़ व 02 अदद रस्सी।

**थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा आनलाइन शापिंग के माध्यम से फ्राड हुए 5987 रुपये वापस कराया गया–**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे साइबर फ्राड अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोपागंज श्री रवीन्द्रनाथ राय के कुशल निर्देशन में, पीडित आवेदक मनोज कुमार मध्येशिया पुत्र स्व0 सुभाषचन्द्र पता कोपागंज,मऊ मो0नं0 9451110880, दिनांक 09.01.2026 को संदिग्ध द्वारा आवेदक को आनलाइन शापिंग के माध्यम से कई बार में कुल 68990 रू का फ्राड होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्यवाही करते हुये साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज द्वारा पूर्व में 27,292रू0 वापस कराया गया था आवेदक का उक्त प्रकरण में होल्ड हुए धनराशि 5987 रु0/ दिनांक 29.04.2026 को वापस कराया गया।

**अवैध तमन्चा के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मु0 बाद गोहना श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान रानीपुर पुलिस को गिरफ्तारी में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जिसमें सूचना मिली की मारपीट की घटना में अपने ननिहाल ग्राम इटौरा आये आरोपी विशाल चौहान पुत्र वीरेन्द्र चौहान है वह अपने गांव नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर द्वारा मारपीट के दौरान असलहा निकाल लिया और अपने विपक्षीगण को डराने धमकाने लगा। इसी सूचना पर रानीपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर असलहा व बाहन सहित उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जिससे बड़ी घटना होने से बच गयी।

दिनाक 28.04.2026 रात्रि में ग्राम इटौरा में विवाद की सूचना पर रानीपुर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। जांच में पाया गया कि नखतपुर (गाजीपुर) निवासी विशाल चौहान ने अपने ननिहाल इटौरा आकर स्थानीय निवासी मिथिलेश चौहान के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि विशाल उसे लंबे समय से धमकी दे रहा था और आज उसने कट्टा सटाकर जान से मारने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद मित्रों द्वारा बीच-बचाव करने के दौरान दोनों पक्षों के मध्य हाथापाई हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर अभियुक्त विशाल चौहान पुत्र वीरेन्द्र चौहान है वह अपने गांव नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर को मौके पर गिरफ्तार लिया गया तथा घटना में कारित किये गये वाहन व असलहा को मौके से बरामद कर अवैध तमन्चा रखने व धमकाने के आरोप में बरामद शस्त्र को मौके पर सील कर तथा घटना में कारित मोटर साइकिल को सीज कर गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर कर नियमानुसार कार्यवाही कर आज दिनांक को मा० न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. विशाल चौहान पुत्र वीरेन्द्र चौहान निवासी ग्राम नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष

**बरामदगीः-**

1. एक अदद नाजायद देशी तमंचा।
2. मोटर साइकिल हीरो स्पलेन्डर ।

**मुकदमे का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 52/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ।

**अपहरण मामले में वांछित एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में–**

आज दिनांक 29.04.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/रअपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर शीतला माता मंदिर के पास से मु0अ0सं0 121/26 धारा 87, 137(2) बीएनएस में वांछित बालअपचारी करन कुमार पुत्र धर्मेन्द्र राम निवासी बरईपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

**आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹1000 अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (जू. डी.) कोर्ट नंबर 2 कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 29-04-2026 को मु0अ0सं0 381/1998 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त रामदुलारे उर्फ दुलारे यादव पुत्र अलगू यादव निवासी टिपकाबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ जनपद को उक्त अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹1500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।